पत्रांक– 11 न0वि0 अभि0(को0) 324/2017 1512 न0वि0 एवं आ0वि0

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

अधीक्षण अभियंता,
बिहार शहरी विकास अभिकरण,
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम, मुंगेर।
कार्यपालक अभियंता,
जिला शहरी विकास अभिकरण,
मुंगेर।

पटना, दिनांक– 29/11/18

विषयः– ई–टेंडरिंग पद्धति द्वारा निविदा आमंत्रण सूचना सं0–03/2018–19 के ग्रुप सं0–01 के कार्य AMRUT योजना अन्तर्गत श्री कृष्ण वाटिका पार्क का निर्माण कार्य के निविदा के संबंध में।

प्रसंगः– नगर आयुक्त, नगर निगम, मुंगेर का पत्रांक–2484 दिनांक–03.11.2018 एवं इस कार्यालय का पत्रांक–1442 दिनांक–19.11.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक ई–टेंडरिंग पद्धति द्वारा निविदा आमंत्रण सूचना सं0–03/2018–19 के ग्रुप सं0–01 के कार्य AMRUT योजना अन्तर्गत श्री कृष्ण वाटिका पार्क का निर्माण कार्य हेतु मान्य 05 निविदाकार (1) आद्या इन्फ्रास्ट्रक्चर, (2) श्री कुमार गौरव, (3) श्रीमति माला देवी, (4) श्रीमति मीरा देवी एवं (5) श्री उत्तम कुमार का उद्धृत दर एकसमान (परिमाण विपत्र की राशि से 10% कम) रहने के फलस्वरूप उपस्थित निविदाकारों/उनके प्रतिनिधियों के बीच अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में लॉट्री किया गया एवं लॉट्री में **श्रीमति माला देवी** का नाम सफल संवेदक के रूप में चयनित हुआ।

तदनुसार लॉट्री के आधार पर चयनित **श्रीमति माला देवी** को उक्त कार्य उनके द्वारा उद्धृत दर परिमाण विपत्र की राशि **42,17,235/–(बियालीस लाख सतरह हजार दो सौ पैंतीस)** रूपये मात्र से **10% कम दर** पर जिसकी कुल राशि **37,95,512/–(सैंतीस लाख पंचानवे हजार पाँच सौ बारह)** रूपये मात्र आती है, पर आवंटित किया जाता है। कार्य आवंटन एवं एकरारनामा के पूर्व सभी कागजात से संतुष्ट होने के उपरान्त ही एकरारनामा करेंगे। नगर आयुक्त, नगर निगम, मुंगेर/कार्यपालक अभियंता, डुडा, मुंगेर सभी कागजात का सत्यापन कर एवं असाधारण उद्धृत दर के लिए यथोचित Additional Performance Guarantee लेकर एकरारनामा करेंगे।

एकरारनामा के पूर्व उक्त कार्य के परिमाण विपत्र में अंकित दरों से संतुष्ट होने के उपरान्त ही एकरारनामा करेंगे।

निम्न निदेशों कापालन करते हुए एकरारनामा किया जायः–

1. कार्य समाप्ति की अवधि **90 दिन** होगी।
2. कार्य पर होने वाले व्यय को वित्तीय एवं तकनीकी अनुमोदन के अधीन सीमित रखा जाय।
3. एकरारनामा हेतु पूर्ण रूपेण जाँचोपरान्त परिमाण विपत्र के अवयवों को शुद्ध एवं वैध स्वरूप प्रयुक्त किया जाय।
4. कार्य का एकरारनामा 07 (सात) दिनों के अन्दर सम्पन्न कराकर कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

5. अगर निविदा में अंकगणितीय गणना में कोई त्रुटि रह गई तो इसकी सूचना निश्चित रूप से दिया जाय एवं निविदा का कार्यान्वयन तब तक नहीं किया जाय जब तक कि इस स्तर से समुचित निदेश प्राप्त नहीं हो जाय।

6. कार्य का सम्पादन तकनीकी स्वीकृति में दिये गये टीका–टिप्पणी के अनुरूप विशिष्टियों के अनुसार ही कराया जाय।

7. कार्य को निर्धारित समय–सीमा के अन्तर्गत सम्पादित कराना सुनिश्चित कराया जाय। परिमाण विपत्र में अंकित मात्राओं को कार्यस्थल पर पुस्तिका में अंकित कर दिया जाय एवं तदनुसार ही कार्य कराया जाय। इसके लिए संवेदक से कार्य योजना प्राप्त कर उसकी एक प्रति इस कार्यालय को उपलबध करायी जाय।

8. कार्य आरम्भ करने के पूर्व प्री लेवेल अवश्य करा लेंगे, ताकि कार्य पूर्ण होने पर कृत कार्य की मात्रा कि गणना सही ढंग से की जा सके।

9. विभिन्न कार्यों में लगने वाले लौह छड़ (Reinforcement), Tata/SAIL/RINL Steel Make का होना चाहिए।

10. कार्य के दौरान व्यवहार में आनेवाले सामग्रियों यथा ईंट, बालू, चिप्स, मेटल आदि की गुणवत्ता की जाँच व्यवहार में लाने के पूर्व करा लेंगे।

11. PCC/RCC कार्य की योजना में कार्य के दौरान Cube का Mould cast के बाद Crushing strength का Test अवश्य करा लेंगे।

12. कार्य स्थल के आरंभिक एवं अंतिम बिन्दु पर योजना संबंधी सूचना पट्ट लगाना आवश्यक है, जो लोहे के Angle पर PCC से जाम हो।

13. आप से प्राप्त तुलनात्मक विवरणी अग्रत्तर कार्रवाई हेतु लौटाई जाती है।

कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

<u>अनु0:–</u> तुलनात्मक विवरणी एवं सभी निविदा अभिलेख मूल में।

विश्वासभाजन

29/11/18

अधीक्षण अभियंता
बिहार शहरी विकास अभिकरण
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।

E:\V N File 2014\Munger\Munger C.S.docx